उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-136/2019/2371/92-2-19-03टीएसी/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थावना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति एवं अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-112/ 2018/2122/92-2-18-03टीएसी/17 दि0 14-08-2018 द्वारा श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर (सम्प्रति से0नि0) के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के पत्र संख्या-1731/ग्रा0 अ0वि0/जांच-एस0टी-सिद्धार्थनगर/18-19 दि0 18-01-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप सं0-2, 3 व 4 स्थापित नही पाया गया तथा आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया। शासन के पत्र सं0-215/92-2-19-03टीएसी/17 दि0 06-02-2019 द्वारा आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-1 के संबंध में अपचारी अधिकारी, श्री अभय शंकर सिंह का अभ्यावेदन मांगा गया, जिसकी तामीली रसीद निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र सं0-जी-407/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अनु0जांच-859/19-20 दिनांक 02-07-2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। पर्याप्त समय बीत जाने के उपरांतभी अपचारी अधिकारी श्री अभय शंकर सिंह का अभ्यावेदन शासन में प्राप्त नही हुआ है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री अभय शंकर सिंह द्वारा निर्माण कार्यो के शिथिल नियंत्रण व पर्यवेक्षणीय दायित्व हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी है, परन्तु प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा कर दिये जाने तथा अपचारी अधिकारी, श्री सिंह के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 31-05-2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर शेष न रह जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 14-08-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-136/2019/2371/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in